मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक :एफ 8/2009/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 19 मई, 2010
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त, कलेक्टर,
मध्य प्रदेश ।

विषयः — मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत राज्य शासन के कर्मचारियों को वेतन ऐरियर्स का भुगतान ।

संदर्भः- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांकःएफ 8/2009/नियम/चार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2009.

-----0-----

कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के अंतर्गत दिनांक 1-1-2006 से 31-8-2008 तक की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं । विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे शासकीय सेवकों, जो उक्त अवधि में आंशिक या पूर्णरूपेण एक या अधिक बाह्य नियोजक की सेवा में कार्यरत रहे हैं अथवा देय तिथियों पर बाहय नियोजन में हैं या रहेंगे, की उक्त अवधि की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया है। उपरोक्त बिंदुओं पर समग्र विचारोपरांत निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

स. क्र.	बिंदु	स्पष्टीकरण
1.	ऐसे शासकीय सेवकों, जो दिनांक 01-05-2010 को तो शासन के अंतर्गत कार्यरत हैं, परंतु दिनांक 1-1-2006 से 31-8-2008 के बीच की अवधि में आंशिक या पूर्णरूपेण एक या अधिक बाह्य नियोजक की सेवा में कार्यरत	ऐसे शासकीय सेवकों के दिनांक 1-1-2006 से 31-8-2008 के बीच की उस अवधि, जिसमें वे बाह्य सेवा में रहे हैं, का भुगतान संबंधित बाह्य नियोजक द्वारा किया जायेगा। बकाया राशि की गणना वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन के पैरा-2 (क) के अनुसार की जायेगी। इस प्रकार गणना की गयी बकाया राशि की जानकारी

	रहे हैं, की बकाया राशि का भुगतान किसके द्वारा किया जायेगा तथा भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी ?	संबंधित शासकीय सेवक (संबंधित शासकीय सेवक के दिवंगत होने की स्थिति में उसके परिवार) के अलावा संबंधित बाह्य नियोजक को भी दी जायेगी, जिसके आधार पर संबंधित बाह्य नियोजक द्वारा संदर्भित परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार बकाया राशि का भुगतान किया जायेगा। इस प्रकार बाह्य नियोजक द्वारा किये गये भुगतान की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में की जायेगी। दिनांक 1-1-2006 से 31-8-2008 के बीच की शेष अवधि, यदि कोई हो, जिसमें शासकीय सेवक शासन के अंतर्गत कार्यरत रहा है, के बकाया भुगतान हेतु संदर्भित ज्ञापन में दर्शायी प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
2.	ऐसे शासकीय सेवकों, जो दिनांक 01-05-2010 को तो बाह्य सेवा में कार्यरत हैं, परंतु दिनांक 1-1-2006 से 31-8-2008 के बीच की अवधि में शासन के अंतर्गत कार्यरत रहे हैं, की बकाया राशि का भुगतान किसके द्वारा किया जायेगा तथा भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी?	ऐसे शासकीय सेवकों की दिनांक 1-1-2006 से 31-8-2008 के बीच की अवधि की बकाया राशि की गणना एवं भुगतान की कार्यवाही उस कार्यालय द्वारा की जायेगी, जहाँ बाह्य सेवा के दौरान उनका सेवा अभिलेख संधारित किया जा रहा है।
3.	स०क्र०-1 में दर्शाये गये ऐसे शासकीय सेवक जो दिनांक 01-05-2010 को तो शासन के अंतर्गत कार्यरत हैं, परंतु जो दिनांक 1-5-2011, 1-5-2012, 1-5-2013 या 1-5-2014 को बाह्य सेवा में कार्यरत होंगे, उनकी बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी ?	ऐसे शासकीय सेवकों के दिनांक 1-1-2006 से 31-8-2008 के बीच की उस अवधि, जिसमें वे बाह्य सेवा में रहे हैं, का भुगतान संबंधित बाह्य नियोजक द्वारा स०क्र०-1 में दर्शायी गयी प्रक्रियानुसार किया जायेगा तथा शेष अवधि, यदि कोई हो, जिसमें वे शासन के अंतर्गत कार्यरत रहे हैं, का भुगतान स०क्र०-2 में दर्शाये अनुसार उस कार्यालय द्वारा किया जायेगा जहां बाह्य सेवा के दौरान उनका सेवा अभिलेख संधारित किया जा रहा है ।

4.	ऐसे प्रकरणों में जहाँ शासकीय सेवक दिनांक 1-1-2006 से 31-8-2008 के बीच की अवधि में आंशिक या पूर्णरूपेण एक या अधिक बाह्य नियोजक की सेवा में रहा है एवं इन बाहय नियोजकों में एक या अधिक बाहय नियोजक की स्थापना को परियोजना अवधि समाप्त होने या अन्य किसी कारण से बंद करने की स्थिति दिनांक 1-5-2014 के पहले उत्पन्न होती है तो ऐसे प्रकरणों में शेष बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी?	ऐसे शासकीय सेवकों के बकाया भुगतान हेतु स0क्र0-3 में दर्शायी गयी प्रक्रिया अपनायी जायेगी अर्थात उनके दिनांक 1-1-2006 से 31-8-2008 के बीच की उस अवधि, जिसमें वे बाह्य सेवा में रहे हैं, का भुगतान संबंधित बाह्य नियोजक द्वारा स0क्र0-1 में दर्शायी गयी प्रक्रियानुसार किया जायेगा तथा शेष अवधि, यदि कोई हो, जिसमें वे शासन के अंतर्गत कार्यरत रहे हैं, का भुगतान स0क्र0-2 में दर्शाये अनुसार उस कार्यालय द्वारा किया जायेगा जहां बाह्य सेवा के दौरान उनका सेवा अभिलेख संधारित किया जा रहा होगा ।
5.	ऐसे प्रकरणों में जहाँ शासकीय सेवक दिनांक 1-1-2006 से 31-8-2008 के बीच की अवधि में आंशिक या पूर्णरूपेण एक या अधिक बाह्य नियोजक की सेवा में रहा है एवं इन बाहय नियोजकों में एक या अधिक बाहय नियोजक की स्थापना को परियोजना अवधि समाप्त होने या अन्य किसी कारण से बंद करने की स्थिति दिनांक 1-5-2014 के पहले उत्पन्न होती है तो ऐसे प्रकरणों में शेष बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी?	ऐसे प्रकरणों में संबंधित बाह्य नियोजक द्वारा उसकी स्थापना में शासकीय सेवक द्वारा की गयी सेवा हेतु देय बकाया राशि में से शेष बकाया राशि का भुगतान स्थापना के बंद होते समय एकमुश्त किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अश्विनी कुमार राय)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

पृष्ठा.क्र.:एफ 8/2009/नियम/चार भोपाल, दिनांक 19 मई, 2009

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन,भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल/ जबलपुर/ इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी /(आडिट)-1/2, मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी), मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघ
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

(अजय चौबे)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग